पत्र संख्या–18/लो0शि0नि0–14–04/2016सा0प्र0 9855/

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

दयानिधान पाण्डेय,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सभी सचिव/प्रधान सचिव,
बिहार सरकार, पटना।

पटना–15, दिनांक– 18 जुलाई, 2016

विषयः– **बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 (बिहार अधिनियम 19, 2015) के अधीन प्रदत शक्तियों के प्रयोजनार्थ विभाग स्तर पर प्रथम अपीलीय प्राधिकार के लिए विभागीय पदाधिकारी को अधिसूचित करने के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या–18/लो0शि0नि0–14–04/2016–7691, दिनांक–30.05.2016 का कृपया संदर्भ लिया जाय।

बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 (बिहार अधिनियम 19, 2015) की धारा 3 के अधीन प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ अनुमंडल, जिला एवं विभाग के स्तर पर लोक शिकायत पदाधिकारी, प्रथम अपीलीय प्राधिकार, द्वितीय अपीलीय प्राधिकार एवं पुनरीक्षण प्राधिकार के संबंध में अधिसूचना निर्गत कर चुकी है, किन्तु यहाँ उल्लेखनीय है कि प्रथम अपीलीय प्राधिकार के रूप में संबंधित विभाग में पदस्थापित संयुक्त सचिव/ अपर सचिव/ विशेष सचिव स्तर के किसी विभागीय पदाधिकारी को अधिसूचित किया जाना है।

अतएव अनुरोध है कि इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करते हुए इसकी सूचना सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना एवं अपर निदेशक, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी, पटना को भी उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

कृपया इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

सरकार के अपर सचिव।

desktop/hcl/imran/reorganisation latter 2016